# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या –2375/2012/उदयपुर

1. श्री भरत कुमार पिता श्री हरिकृष्ण जी
2. श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री हरिकृष्ण जी
   समस्त निवासी खोखरवास (भटेवर) तहसील वल्लभनगर, जिला–उदयपुर .....प्रार्थी.

**बनाम्**

1. उप पंजीयक वल्लभनगर, उदयपुर
2. श्री मदन लाल पिता उंकारलाल जी जणवा
   निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर, जिला–उदयपुर .....अप्रार्थी.

2. निगरानी संख्या –2376/2012/उदयपुर

श्री मांगीलाल पिता श्री नानालाल जी टॉक
निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला–उदयपुर .....प्रार्थी.

**बनाम्**

1. उप पंजीयक वल्लभनगर, उदयपुर
2. श्री गणेशलाल पिता उंकारलाल जी जणवा
   निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर, जिला–उदयपुर .....अप्रार्थी.

## एकलपीठ

**राजीव चौधरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**
श्री गौरव दवे
**अभिभाषक।** .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री जमील जई
**उप–राजकीय अभिभाषक।** .....अप्रार्थी सं.1 की ओर से
**अप्रार्थी सं. 2 (तामील के प्रक्रम पर)**

**दिनांक : 01.08.2017**

## निर्णय

1. उक्त दोनों निरागनी प्रार्थी द्वारा पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत्त उदयपुर (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. क्रमशः 479/2006 तथा 419/2006 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त दोनों निगरानियों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त दोनों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मोजा भटेवर पटवार हल्का भटेवर तहसील वल्लभगनर जिला, उदयपुर के आराजी नम्बर क्रमशः 1071/3 तथा 1071/2 रकबा 4 बिस्वा कृषि भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 श्री मदनलाल व गणेशलाल से क्रमशः दिनांक 03.02.2004 तथा 18.03.2004 को राशि क्रमशः 1,62,00/– तथा 1,62,820/– रूपये के प्रतिफल के एवज से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। जिस पर पूर्व से ही कृषि संबंधित गतिविधियां संचालित थी तथा वर्तमान में भी कृषि गतिविधियां संचालित है। प्रश्नगत भूमि के ऊपर 220 के.वी. हाईटेन्सन बिजली लाईन गुजर रही है तथा प्रश्नगत भूमि गांव की आबादी से मिली हुई नहीं होने के कारण भूमि रूपान्तरण योग्य नहीं है। उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत

01/08/17

लगातार.....2.

क्रमशः 7,16,468 रूपये मानकर 78,805/– रूपये कमी मुद्रांक व 7,164/– रूपये पंजीयन शुल्क तथा 1,86,040/– रूपये मालियत मानते हुए 20,470/– कमी मुद्रांक तथा 1,860/– पंजीयन शुल्क देय माना। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा न करने पर उप पंजीयक द्वारा प्रकरण रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उप पंजीयक द्वारा आरोपित कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क को सही मानते हुए वसूल के आदेश दिनांक 10.10.2011 पारित किया। उक्त अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), उदयपुर के आदेश दिनांक 10.10.2011 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में क्रेता/विक्रेता को नियमित नोटिस जारी न करके, जो अपठनीय होने से उसकी जानकारी या तामील क्रेता/विक्रेता को नहीं हुयी। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नोटिस को तामील मानते हुए **साईक्लोस्टाईल** रूप Non Speeking एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णिय पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी करके तामिल करवाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टांत **1990 आर.आर.डी. 503** में निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तंथ्यों की सम्पूर्ण विचेचना व विश्लेषण करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया जाना चाहिये था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए साईक्लोस्टाईल रूप में आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त किया जाये और निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाये।

6 बहस के दौरान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए तथा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये, तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है और डी.एल.सी. के आधार पर निर्धारित दर से कम दर पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क दिया गया है। ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त होने योग्य है।

7 प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश की जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी अन्दर मियाद होने से निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पक्षकारों को जरिए प्रकाशन सुनवाई का समुचीत अवसर प्रदान किया गया इसके उपरान्त भी पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर निर्णय पारित

01/08/17

लगातार.....3.

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों एवं प्रकरणों के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.10.2011 विधिक होने से इसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः निर्णय को यथावत रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से इनका निर्णय गुणावगुण पर करना श्रेयस्कर होगा। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

11. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2009 को जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात् निर्णय तक तारीख पेशी पर निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विक्रेता को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का विधिवत् नोटिस नहीं किया जाना एवं पर्याप्त तामील होना नहीं होने की प्रार्थी निगरानीकर्ता की आपत्ति निराधार एंव सारहीन है।

12. प्रार्थी के अधिवक्ता की आक्षेपित आदेश के संबंध में यह आपत्ति भी रही है कि **"अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक व मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2011 को पारित किये गया है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में रेफरेन्स को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिया गया है। इस लिये यह आदेश पोषणीय नहीं है।"** प्रार्थी की ओर से की गई उक्त आपत्ति के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2011 एकपक्षीय पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में है तब भी प्रार्थी/वादी को अपना मामला स्वयं साबित करना होगा। वह प्रतिपक्षी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2011 में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश छपे हुए साईक्लोस्टाईल फार्म में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किया गया है। प्रतिपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता। राजस्थान कर बोर्ड के पूर्व में पारित न्यायिक दृष्टांतों 2015(1) RRT पेज 154 तथा 2015(1)RRT पेज 157 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साईक्लोस्टाईल फोरमेट में पारित आदेश तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा

01/08/17

लगातार.....4.

यांत्रिक रूप से पारित किया गया आदेश है, जो विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2011 में रेफरेन्स को गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है तथा उक्त आदेश साईक्लोस्टाईल फोरमेट में रिक्त स्थान को पेन से भरकर पारित किये गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2011 तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के उक्त आपत्ति विधि सम्मत होने से आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तृत जांच कर पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

13. परिणामस्वरूप प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), उदयपुर का आदेश दिनांक 10.10.2011 को अपास्त किया जाता है। उक्त दोनों प्रकरणों को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), उदयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.10.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया जाता है कि विक्रेतागण को भी सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाये।

14. निर्णय सुनाया गया।

01/08/17

( राजीव चौधरी )
सदस्य